तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
17/03/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्र० पत्र के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम सामंपा तहसील सुनेल की हाल जमाबंदी संवत 2073-76 के अनुसार ख०न० 60 रकबा 1.2520 हैक्टेयर प्रार्थी व अप्रार्थी 1 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है जिसमे प्रत्येक हिस्सा ½ - ½ दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार खाता सं० 199 किता 8 रकबा 4.2871 hect भी संयुक्त खाते की आराजी जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी 1 का हिस्सा 65/384 - 65/384 दर्ज है अर्थात खाता सं० 199 मे दोनो भाईयो का संयुक्त हिस्सा 130/384 यानी 1.4513 hect है। उभयपक्ष की बहस एवं शपथ पत्रो आदि के आधार पर दोनो भाईयो के मध्य मौखिक रूप से पारिवारिक बंटवारा होकर ख०न० 60 रकबा 1.2520 hect प्रार्थी के कब्जेकाश्त (मौके पर) मे व्यक्ति खाता सं० 199 किता 8 मे हिस्सा 1.4513 हैक्टेयर पर अप्रार्थी 1 का वर्षों से कब्जाकाश्त होना प्रतीत होता है अर्थात प्रार्थी की तुलना मे अप्रार्थी 1 के कब्जेकाश्त मे ज्यादा भूमि है। अभी तक दोनो भाईयो के मध्य विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारे का वाद (suit) लंबित है। अप्रार्थी 1 ख०न० 60 मे से अपने हिस्से का किसी अजनबी क्रेता को बेचान करने पर झगड़ा होना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा०पत्र u/s 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार कर उभयपक्ष को तहसीलमूलवाड़ [illegible] खाता विभाजन के [illegible] नहीं करे और ना ही [illegible] किसी अजनबी क्रेता को कब्जा सौंपे। [illegible] तो सहखातेदार के right to pre-emption को ध्यान मे रखे। पत्रावली फैसल, शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाड के साथ शामिल हो। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा [illegible] 17/03/26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.03.19 10:15:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner